

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर

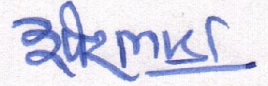
क्रमांक : एफ.4(ई)(के-939/2013)/अलेसे-III/618

दिनांक :- 30.07.2021

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिक के कॉलम 04 में अंकित आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(बी)(III) के अन्तर्गत नियमित करते हुए निम्नानुसार कॉलम 05 में अंकित कार्यालय से वेतन आहरण की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	लिंक नं.	नाम/पदनाम	अवधि	विभाग/कार्यालय जहाँ से वेतन भुगतान किया जाना है :-
			आदेशों की प्रतीक्षा अवधि	
1	2	3	4	5
1	13138	श्री कमलजीत सिंह, क0 लेखाकार	दिनांक 15.12.2020 से दिनांक 24.12.2020	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, आर. डब्लू.एस.एस.एम.बी., जयपुर



(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांक : एफ.4(ई)(के-939/2013)/अलेसे-III/618

दिनांक :- 30.07.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कार्मिक की सेवा पुस्तिका कार्यालय वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, आर.डबल्यू.एस.एस.एम.बी., जयपुर को भिजवाने की व्यवस्था करावें।
2. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, आर.डबल्यू.एस.एस.एम.बी., जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कार्मिक की सेवा पुस्तिका प्राप्त होने पर कॉलम 04 में अंकित आदेशों की प्रतीक्षा अवधि के वेतन भुगतान की व्यवस्था करवाते हुए सेवा पुस्तिका में इन्द्राज करवाने की व्यवस्था करावें।
3. उप निदेशक(एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. निजी सचिव निदेशक महोदय।
5. श्री कमलजीत सिंह, क0 लेखाकार, कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी, जयपुर।
6. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/गोपनीय शाखा।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)